

राजस्थान-सरकार

## न्यायालय अति० जिला मजिस्ट्रेट करौली (राज०)

पीठासीन अधिकारी सुदर्शनसिंह तोमर आर.ए.एस

मु०नं० 10/2019

आर.सी.एम.एस. 2019/00191

तारीख रजू 30.07.2019

सरकार जरिये पुलिस अधीक्षक जिला करौली

:- सायल/प्रार्थी

### बनाम

उदयसिंह पुत्र परभाती जाति जाट उम्र 55 साल निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी थाना नई मण्डी, हिण्डौन :-गैरसायल/अप्रार्थी

### इस्तगासा अन्तर्गत धारा 3 राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975

#### निर्णय

दिनांक 02.12.2019

पुलिस अधीक्षक करौली द्वारा यह इस्तगासा राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गैरसायल उदयसिंह पुत्र परभाती जाति जाट उम्र 55 साल निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी थाना नई मण्डी, हिण्डौन के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है। अभियोग पत्र के अनुसार गैरसायल के विरुद्ध थाना नई मण्डी, हिण्डौन में निम्न केस दर्ज हुये है।

क्र.सं.	मुकदमा नम्बर व दिनांक	धारा	नतीजा पु० चार्ज०नं०	न्यायालय निर्णय व दिनांक
01	22/18 दि० 22.09.2018	13 आरपीजीओ एक्ट	4 दिनांक 09.10.2018	जुर्माना 100 रुपये दिनांक 23.10.2018
02	77/19 दि० 10.03.2019	13 आरपीजीओ एक्ट	27 दिनांक 28.03.2019	जुर्माना 100रुपये दिनांक 09.06.2019

उक्त पंजीकृत आपराधिक प्रकरण में वाद जॉच चार्जशीट किता कर संबन्धित न्यायालय में चालान पेश किया गया जिसमें सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को उक्त प्रकरणों में दोषी मानते हुये जुर्माना के दण्ड से दण्डित किया गया। गैरसायल जुआ, सटटा का आदतन अपराधी है जिससे आम जनता में कुप्रभाव पडता है। इतने प्रकरण दर्ज होने के बाबजूद भी इसकी कार्यशैली पर कोई असर नहीं हो रहा है बल्कि हौंसला बुलन्द होता जा रहा है। कानून का भय कतई नहीं रखता है। निरन्तर अपराध करता जा रहा है। ऐसे अपराधी का खुले रूप से घुमना आम जनता के जान-माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। ऐसे अपराधी का खुले रूप में सामाजिक सुरक्षा एवं कानून के राज के लिये कतई हित में नहीं है। इस तरह के अपराधी के खिलाफ गुण्डा एक्ट की कार्यवाही किया जाना आम जनता के हित में है।

अन्त में स्थगासा पेश कर गैरसायल अपराधी उदयसिंह पुत्र परभाती जाति जाट उम्र 55 साल निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी थाना नई मण्डी, हिण्डौन के खिलाफ कार्यवाही करने का निवेदन किया गया है।

स्थगासा को साबित करने के लिये एफआईआर की प्रति, चार्जशीट डायरी, सजा निर्णय की प्रतियां मय गवाह सूची पेश किये है।

स्थगासा दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियम 04 के उल्लेखन अनुसार राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया गया। गैरसायल वकालानतन उपस्थित आया। गैरसायल एवं उनके अभिभाषक ने जबाव एवं प्रार्थनापत्र पेश कर अपनी सहमति दी गई है कि मैं गरीब व्यक्ति हूँ। मेरे बच्चों की देखभाल करने वाला और कोई नहीं है। मुझे जिला बदर के स्थान पर थाना बदर करने का निवेदन किया है।

सायल की ओर से इस्तगासा मे प्रथम सूचना रिपोर्ट तथा न्यायालय निर्णय की प्रति ,नतीजा चार्जशीट की प्रतियां पेश की गई है जिसमे गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। गैरसायल ने अपने बचाव पक्ष मे मौखिक एवं लिखित कथन के अतिरिक्त अन्य किसी प्रकार की कोई साक्ष्य या गवाह आदि पेश नही किये है।

गैरसायलान को असालतन एवं वकालानतन सुना गया। सायल ने अपने इस्तगासा मे गैरसायल के खिलाफ दो मुकदमे दर्ज करते हुये सक्षम न्यायालय मे चार्जशीट पेश की गई थी जिसमे सक्षम न्यायालय ने अपने निर्णय मे गैरसायल को आर्थिक दण्ड से दण्डित किया गया है। सायल के इस्तगासा मे वर्णित तथ्यानुसार गैरसायल जुआ, सट्टा का आदतन अपराधी है जिससे आम जनता को कुप्रभाव पड़ता है। गैरसायल सक्षम न्यायालय के दण्डित होने के बाद भी अपनी कार्यशैली पर कोई असर नही हो रहा है जिससे आम जनता मे ऐसे अपराधी का खुले रूप मे घुमना जान-माल की सुरक्षा हेतु असुरक्षित रहता है। जिसमे गैरसायल द्वारा अपने प्रार्थना पत्र दिनांक 02.12.2019 मे गरीब व्यक्ति होना स्वीकार करते हुये दोष मुक्त किये जाने का भी निवेदन किया गया है किन्तु जब सक्षम न्यायालय द्वारा गैरसायल को दण्ड से दण्डित कर दिया गया है तो गैरसायल के विरुद्ध यह विश्वास करने के पर्याप्त आधार है कि गैरसायल को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 के नियमो के तहत अपराधिकृत कारित करने मे संलिप्त है। गैरसायल का कृत्य अनैतिक है जो समाज के लिये अभिशाप है। ऐसे मे उसके खिलाफ कार्यवाही किया जाना उचित समझते है।

अतः सायल/प्रार्थी का इस्तगासा स्वीकार किया जाकर गैरसायल उदयसिंह पुत्र परभाती जाति जाट उम्र 55 साल निवासी वर्धमान नगर हिण्डौन सिटी थाना नई मण्डी, हिण्डौन को राजस्थान गुण्डा नियन्त्रण अधिनियम 1975 की धारा 3 के अन्तर्गत गुण्डा घोषित किया जाता है तथा गैरसायल को 15 दिवस की समयावधि के लिये थाना नई मण्डी, हिण्डौन के परिक्षेत्र से निष्कासित करने का आदेश दिया जाता है। थाना नई मण्डी, हिण्डौन को आदेश दिये जाते है कि दिनांक 16.12.2019 से 31.12.2019 तक की समयावधि के लिये थाना सूरौठ पर रहने हेतु सूपूर्द करें। गैरसायल को सुविधा मार्ग से ले जाया जावे। गैरसायल वहां रहने की जानकारी के लिये थाने मे उपस्थिति देगा एवं 15 दिवस की समाप्ति से पूर्व थाना नई मण्डी, हिण्डौन के किसी भी भाग मे प्रवेश नही करेगा। निर्णय की प्रति पुलिस अधिक्षक करौली एवं थाना नई मण्डी, हिण्डौन एवं थाना सूरौठ को भेजे तथा एक प्रति गैरसायल को दी जावे।

निर्णय आज दिनांक 02.12.2019 को खुले न्यायालय मे लिखाया जाकर सुनाया गया।

(सुदर्शनसिंह तोमर)  
अति० जिला मजिस्ट्रेट  
करौली

